(3) final

न्यायालय माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़
बिलासपुर

(रिट)प्रादेश याचिका क्र. 1547 ------/2003

रैनू साहू पिता श्री भुनुराम उम्र लगभग 53 वर्ष
श्रमिक, निवासी ग्राम दर्रीपार
थाना व तह. कुरूद जिला धमतरी (छँ.ग.) .. याचिकाकर्त्ता

''विरूद्ध''

छत्तीसगढ़ शासन द्वारा

1. मुख्य अभियंता
   महानदी परियोजना
   जल संसाधन विभाग रायपुर
2. अनुविभागीय अधिकारी
   महानदी शीर्ष जलप्रबंध उपसंभाग क्र. 1 रूद्री,
   जिला-धमतरी (छ.ग.)
3. कार्यपालन यंत्री,
   महानदी जल प्रबंध बांध संभाग क्र. 2 रूद्री
   जिला धमतरी (छ.ग.) .. उत्तरवादीगण

P. R. No. 262/03
Presented by Shri 10.03.03
dated Prakash Jangde.

प्रादेश याचिका अन्तर्गत अनुच्छेद 226 भारतीय संविधान सहपठित अनुच्छेद 227 भारतीय संविधान

XI-HC-22

(17)

उच्च न्यायालय, छत्तीसगढ़, बिलासपुर

आदेश पत्रक

मामला क्रमांक W.P.No.1547/03 सन् 200

विरुद्ध

आदेश का दिनांक आदेश क्रमांक सहित	आदेश हस्ताक्षर सहित	कार्यालयीन मामलों में डिप्टी रजिस्ट्रार के अन्तिम आदेश
	20.02.2004 Ms. Sofia Khan, Dy. Govt. Advocate for the State. When the matter is called out no one appears on behalf of the petitioner. Even on the last date of hearing i.e. on 26.08.2003 no one was present on behalf of the petitioner. Learned State counsel submits that after filing of this writ petition the petitioner has been removed from the post, therefore, this petition has become infructuous. No representation is made therefore; the petition is dismissed for non-prosecution. Consequently, M.W.P. No. 1396/03 & I.A. No.4202/03 also stand dismissed. Sd/- L.C. Bhadoo Judge	

Roshan/Pradeep

[पीछे देखिये